



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18082022-238195
CG-DL-E-18082022-238195

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3683]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 17, 2022/श्रावण 26, 1944

No. 3683]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 17, 2022/SHRAVANA 26, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अगस्त, 2022

का.आ. 3857(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, (NH321G) के कि.मी 25.500 से 51.600 उत्तर प्रदेश राज्य के तक के पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन में उन्नयन हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH321G पर भूमि का अधिग्रहण

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम	
1	2	3	4	5	6	7	
1	उप जिलाधिकारी , जलेसर	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH321G के कि.मी. 25.5 से 51.6 तक	उत्तर प्रदेश	एटा	जलेसर	1	दोलतपुर मुश्की
						2	हसनगढ़
						3	अरबगढ़
						4	रनौसा
						5	मुकुटपुर
						6	गुदाऊँ
						7	शाहनगर टिमरआ
						8	नरहुली
						9	रेजुआ
						10	नौहखास
						11	वलेसरा
						12	सरायनीव
						13	विचपुरी
						14	सालवाहनपुर
						15	जलेसर
						16	खेड़ानूह

[फा. सं. CE-RO/LKO/NH-321G/LA/2021-22]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th August, 2022

S.O. 3857(E).— In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for upgradation to 2 laning with paved shoulders of km. 25.500 to 51.600 of (NH321G) in the State of UTTAR PRADESH.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH321G in the State of UTTAR PRADESH.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	Sub-Divisional magistrate, Jalesar	25.5KM To 51.6KM	UTTAR PRADESH	ETAH	Jalesar	1Daulatpur Mushki
						2Hasangarh
						3Arabgarh
						4Ranausa
						5Mukatpur
						6Gudau
						7Shahnagar Timarua
						8Narhuli
						9Rejua
						10Nuhkhas
						11Balesara
						12Sarayneeb
						13Bichpuri
						14Saalbahanpur
						15Jalesar
						16Kheranuh

[F. No. CE-RO/LKO/NH-321G/LA/2021-22]

RAJESH GUPTA, Director